| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप/विपक्षी का सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त। विपक्षी स्वयं उपस्थित। विपक्षी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि इस न्यायालय के प्र.स. 228/2021 (रे.वि.) में दिनांक 05.01.22 को मेरे खातेदारी की भूमि का मुआवजा निर्धारण कर चैक भुगतान हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को भिजवाये पर मुझ विपक्षी द्वारा अपरियार्य कारणों से चैक प्राप्त नहीं किया था किन्तु अब पारिवारिक एवं निजी आवश्यकता होने से मै चैक प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः मेरे हक एवं हिस्से की मुआवजा राशि का चैक मुझे लौटाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि विपक्षी को मुआवजा राशि का चैक लौटाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय प़क्ष की बहस पर मनन किया जिसके अनुसार इस न्यायालय के प्र.स. 228/2021 (रे.वि.) में दिनांक 05.01.2022 को विपक्षी के हक एवं हिस्से की भूमि का मुआवजा निर्धारण कर राशि 40,01,312 /– रूपये का भुगतान हेतु चैक तहसीलदार निम्बाहेड़ा को प्रार्थी कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया था जिसे विपक्षी ने प्राप्त नही किया किन्तु अब विपक्षी अपनी पारिवारिक एवं निजी आवश्यकता होने से मुआवजा राशि का चैक प्राप्त करना चाहता है तथा प्रार्थी कम्पनी को भी इस पर कोई आपप्ति नहीं है। अतः विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को मुआवजा राशि का चैक उसे लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा को उक्त चैक लौटाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी कम्पनी से नवीन चैक प्राप्त कर प्र.स. 228/2021 (रे.वि.) में दिनांक 05.01.2022 को पारित निर्णयानुसार विपक्षी को चैक भुगतान की कार्यवाही करें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की इस आश्य की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>सत्यमेव जयते<br>Web Copy - Not Official | |